P: ISSN NO.: 2394-0344 RNI No.UPBIL/2016/67980 VOL-3* ISSUE-5* August- 2018
E: ISSN NO.: 2455-0817 *Remarking An Analisation*

भारत में 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियाँ और उनके निर्णय का अध्ययन

योगेन्द्र सिंह
सहायक आचार्य,
राजनीति विज्ञान विभाग,
वीणा मेमोरियल पी.जी.कॉलेज,
करौली, राजस्थान

सारांश

आपातकाल का सामान्य अर्थ ऐसी परिस्थितियों से लिया जाता है कि ''विशेष परिस्थितियों का सामना करने के लिए विशेष सावैधानिक प्रावधान प्रयुक्त किए जाए।'' आपातकाल को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। संविधान के 18वें भाग में अनुच्छेंद 352 से 360 तक आपातकाल का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 352 के अन्तर्गत प्रथम आपातकाल 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के कारण लगाया गया था द्वितीय 1971 में पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के कारण लगा था दोनों आपातकाल बाह्य कारणों से लगे थे लेकिन तीसरी बार आपातकाल 1975 में तात्कालीन कांग्रेस सरकार एवं आन्तरिक कारणों के द्वारा लगाया गया था।

मुख्य शब्द : आपातकाल, अनुच्छेद 352, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय, जगमोहन लाल सिन्हा आदि।

प्रस्तावना

25 जून, 1975 को तात्कालीन राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने आंतरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा कर दी। यद्यपि माना जाता है कि आपातकाल की घोषणा रेडियो पर पहले कर दी गई। तथा बाद में सुबह मंत्रिमण्डल की बैठक के बाद उस पर राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किये। यद्यपि सावैधानिक प्रावधान है कि मंत्रिमण्डल के बैठक के बाद उसकी अनुशंसा पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देते हैं।

आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार के पास सभी शक्तियाँ आ जाती है। और राज्य, केन्द्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। यह बिना किसी संविधान संशोधन के संघीय ढांचे को एकल ढांचे में बदल देता है। ऐसी व्यवस्था किसी संघ में नहीं पायी जाती हैं।

एच.बी. कामथ ने मत प्रकट किया कि ''मुझे डर है कि इस एकल अध्याय द्वारा हम एक ऐसे सम्पूर्ण राज्य की नींव डाल रहें हैं जो कि एक पुलिस राज्य, एक ऐसा राज्य जो उन सभी सिद्धांतों और आदर्शों का पुर्ण विरोध करता है। जिसके लिए हम पिछले दशकों से लडते रहे। एक राज्य वहीं सैकडों मासूम महिलाओं एवं पुरुषों के स्वतंत्रता के अधिकार सदैव संशय में रहेगे। एक राज्य जहाँ कहीं शान्ति होगी जो कब्र में होगी और शून्य अथवा रेगिस्तान में होगी यह शर्म और दुःख का दिन होगा। जब राष्ट्रपति इन शक्तियाँ का प्रयोग करेगा जिनका विश्व के किसी भी लोकतांत्रिक देश के संविधान से कोई साम्य नहीं होगा।''

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने भी संविधान सभा में आपातकालीन प्रावधानों के बचाव में उनके दुरुपयोग की संभावनाओं को व्यक्त किया और उन्होंने कहा ''मैं पूर्णरूप से इनकार नहीं करता कि इन अनुच्छेदों का दुरुपयोग अथवा राजनैतिक उद्देश्य के लिए इनके प्रयोग की संभावना है।''

1975 में आपातकाल लगाया गया वह तात्कालीन कांग्रेस सरकार द्वारा लगाया गया था। जो कि गैर कांग्रेसी राजनोतिक दलों को दबाने के लिए भारत में पहली बार आन्तरिक स्थिति के आधार पर 25 जून, 1975 में आपातकाल का प्रयोग किया गया हालांकि कांग्रेस तथा विरोधी दलों के मध्य टकराव की स्थिति 1967 से आरंभ हो गई थी। स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1967 तक केन्द्र तथा सभी राज्यो में कांग्रेस सरकारों का प्रभुत्व था। लेकिन 1967 के चुनाव में पहली बार आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना से विवाद उत्पन्न हो गया।

श्री एस. पंडित ने कहा कि ''गत चौबीस वर्षों में जब व्यवहारिक रूप से लगभग सभी राज्यों में कांग्रेस दल के हाथों में सत्ता रही केन्द्र सरकार ने एक पितृसत्ता के रूप में विकसित होकर अधीनस्थ इकाईयों को अपने दल के

मुख्यमंत्रियों के माध्यम से नियंत्रित किया। इस बीच जो टकराव उत्पन्न हुए उनको दल के अन्दर ही अन्दर हल कर लिया गया। ''

1967 के आम चुनाव के पश्चात् भारत में कांग्रेस दल के प्रभुत्व का अन्त हो गया और आठ राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों की स्थापना हुई। इस राजनितिक परिवर्तन के कारण राज्यों की गैर–कांग्रेसी सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के बीच टकराव आरंभ हो गया। राज्यों के द्वारा यह मांग उठायी गयी कि राज्यों को अधिक स्वायत्तता मिलनी चाहिए। केन्द्र राज्य संबंधों को नए सिरे से निरूपित किया जाना चाहिए। 1970 में तमिलनाडू के मुख्यमंत्री करूणानिधी ने यह भी नारा दिया– ''भारत'' भारत वालों के लिए और तमिलनाड तमिल लोगों के लिए।''

उत्तर प्रदेश तथा पंजाब में भी विधानसभा में बहुमत निर्धारण के संबंध में राज्यपाल द्वारा अपनाए जाने वाले तरीकों पर आवाज उठाई गई। जिन राज्यों में विधानसभा का विघटन किया गया उनमें विरोधी दलों ने राज्यपाल के विरूद्ध यह आरोप लगाया कि उन्होंने गैर–कांग्रेसी दला को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए बिना विधानसभा भंग कराने की सूचना केन्द्र सरकार को भेजी और अनुच्छेद 356 का प्रयोग बडो उदारता के साथ किया गया। केन्द्र तथा राज्यों के बीच विरोध का दूसरा विषय व्यवस्था का प्रश्न था। 19 सितम्बर 1968 को पूरे देश में कन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों ने हडताल कर दी। जिसमें कुछ स्थानों पर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी। हडताल के दौरान राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया–

एसेंशियल सर्विस मेंटेनेस ऑर्डिनेंस

इस अध्यादेश का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों की हडताल को अवैधानिक घोषित करना था। लेकिन केरल सरकार ने इस अध्यादेश के उपबंधों को मानने से इंकार कर दिया उसने यह कहा कि उसका उत्तरदायित्व इतना है कि केन्द्रीय कार्यालयों की रक्षा करें और यह देखें कि इन कार्यालयों में प्रवेश में कोई बाधा तो नहीं है। केन्द्र सरकार ने यह भी कहा हडताल के लिए उकसाने वाले व्यक्तियों को दंडित करें लेकिन केरल सरकार ने यह तर्क दिया कि केन्द्रीय कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों में प्रवेश करना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

1968 में गृहमंत्री बाई.बी. चाव्हाण ने केरल सरकार की पूर्व अनुमति के बिना सो.आर.पी.एफ. की एक बटालियन केरल में स्थित केन्द्र सरकार के कार्यालयों की रक्षा करने के लिए भिजवा दी। मुख्यमंत्री नंबूदरीपाद ने केन्द्र सरकार की इस कार्यवाही के विरूद्ध रोष प्रकट किया।

पश्चिम बंगाल में जब दुर्गापुर तथा काशीपुर में फैली हुई अशान्ति तथा अव्यवस्था पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार ने सी.आर.पी.एफ. भेजी तो बंगाल सरकार ने उसका विरोध किया और यह मांग की केन्द्र सरकार सी.आर.पी.एफ. को तुरंत वापिस बुला ले और काशीपुर गन तथा शैल फैक्ट्री में हुए गोलीकांण्ड की जांच करवाने का आश्वासन केन्द्र सरकार ने दिया तो वहां की सरकार ने केन्द्र सरकार द्वारा की जाने वाली जाँच में सहयोग देने से इंकार कर दिया।

बिहार के भूतपूर्व मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा ने केन्द्र की लापरवाही से तंग आकर एक बार केन्द्र सरकार से यह अपील की इस राज्य में अकाल की स्थिति का सामना करने के लिए उनकी मदद करें।

उत्तर प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री सी. चन्द्रभानू गुप्ता आौर श्रीमति सुचेता कृपलानी ने भी यह शिकायत की कि केन्द्र सरकार उनके प्रदेश में बढती हुई निर्धनता और भुखमरी की ओर से लापरवाही रही है। कुछ राज्यों में राजनीतिक कारणों से केन्द्र सरकार असीमित रूप से धन दे रही है। 1967 के बाद केन्द्र और राज्य सरकारों में विवाद का कारण आर्थिक दशा का खराब होना भी था। केन्द्र सरकार द्वारा गैर–कांग्रेसी सरकार को समुचित सहायता नहीं दिया जाना भी था। केरल सरकार ने यह शिकायत की केन्द्र सरकार उसे समुचित मात्रा म धन नहीं दे रही है और कहा कि यदि केन्द्र सरकार अपने वायदों को पूरा नहीं करेगी तो वह चीन से धन का प्रबंध करेगी।

इन्दिरा गाँधी पर भ्रश्टाचार का आरोप

समाजवादी नेता राजनारायण ने 24 अप्रैल, 1971 में याचिका दायर की जिसमें उन्होंने इन्दिरा गाँधी पर निम्नलिखित आरोप लगाए :–

1. इन्दिरा गाँधी ने चुनाव पूर्व मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए कम्बल, धोतियाँ आदि बांटी।
2. चुनाव पर लगभग 15 लाख खर्च किए जबकि चुनाव खर्च 75 हजार रूपये से अधिक नहीं होना चाहिए था।
3. स्थल सेना और वायु सेना के विमानों और होलीकाप्टरों का चुनाव अभियान के दौरान प्रयोग किया गया।
4. मतदाताओं को मतदान केन्द्रों पर लाने के लिए सरकारी वाहनों का प्रयोग किया गया।
5. सरकारी कर्मचारियों को चुनाव अभियानों में शामिल किया गया।
6. धार्मिक गाय और बछडों को पार्टी चिन्ह बनाया गया।

12 जून, 1975 को इलाहाबद उच्चन्यायालय के न्यायधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने हाई कोर्ट का निर्णय सुनाया, जिसमें इन्दिरा गाँधी पर भ्रष्टाचार के आरोप कायम रख दिये गये। उनके चुनाव को रद्द कर दिया गया। इसके बाद इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए साम्यवादी दल को छोडकर अन्य विरोधी दलों ने आन्दोलन छेडने का निश्चय किया उन्होंने 13 जून, 1975 को राष्ट्रपति भवन के सामने धरना दिया।

20 जून, 1975 को प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी ने इलाहाबद उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध उच्चतम न्यायालय से अपील की। इस अपील में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को उस समय तक पूर्ण रूप से तथा बिना शर्त के स्थगित रखने की प्रार्थना की गई। जब तक उच्च न्यायालय अन्तिम रूप से अपील पर कोई निर्णय नहीं लेता।

24 जून, 1975 को उच्चतम न्यायालय के अवकाश पीठ ने प्रधानमंत्री की अपील पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय को स्थीगत करने के लिए एक आदेश

जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि इन्दिरा गाँधी की अपील या निर्णय तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर सकती है। और संसद की कार्यवाही में भाग ले सकती है। पर मतदान में भाग नहीं ले सकती है

25 जून, 1975 को जयप्रकाश के नेतत्व में साम्यवादी दल को छोडकर अन्य विरोधीदल (संगठन कांग्रेस, जनसंघ, समाजवादी दल और भारतीय लोकदल इत्यादि) ने इन्दिरा गाँधी को प्रधानमंत्री पद से हटाने के लिए बडा व्यापक आन्दोलन छेडने की घोषणा की। स्थिति बडी गंभीर थी। इस पर प्रधानमंत्री इन्दिरा गांधी ने अपने सहयोगी मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और अन्त में राष्ट्रपति से विचार किया। इन्दिरा गाँधी के विचार में कानून तथा व्यवस्था के टूटने और अराजकता फैलने की पूरी–पूरी संभावना थी। इसलिए उन्होंने राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद से आन्तरिक संकटकालीन स्थिति की घोषणा करवा दी। बाहरी संकटकालीन स्थिति 3 दिसम्बर, 1971 से पहले भी चल रही थी। इसके बाद आन्तरिक आपातकाल 25 जून, 1975 से 21 मार्च, 1977 तक लगभग 21 महीने तक रहा।

साहित्यावलोकन

सईद, प्रो. एस. एम., 'भारतीय राजनीतिक व्यवस्था',2009 में आपातकाल की कटू आलोचना की गयी है एवं आपातकालीन शक्तियों का मूल्यांकन किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभावों को दर्शाया गया है।

कौशिक, सुशीला, 'भारतीय शासन एवं राजनीति', 1990 में इन्दिरा गाँधी के कार्यकाल, जनता पार्टी का शासन, इन्दिरा गाँधी के प्रधानमंत्री काल का दूसरा चरण एवं राजीव गाँधी के कार्यकाल का संक्षेप में वर्णन किया गया है।

राजस्थान पत्रिका, 25 जून 2011 में पृष्ठ संख्या 10 में लेखक इन्दर मलहोत्रा ने आपातकाल के संबंध में एक पहलू प्रकाशित किया है जो निम्न है–

''राष्ट्रपति फखरूद्दीन अली अहमद ने 25 जून, 1975 को आन्तरिक आपातकाल की सिफारिश पर दस्तखत किये थे और भारत में आपातकाल लगा जो 21 माह तक रहा था।''

अग्रवाल, आर.सी., 'भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन', एस चंद एण्ड कम्पनी लि0, 2000 में इन्दिरा गाँधी के आपातकाल लगाने की परिस्थितियों एवं सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय की प्रक्रिया को बताया गया है।

उपर्युक्त साहित्य अवलोकन को मैंने अपनी जानकारी के अनुसार पूरा करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

इस शोध पत्र के माध्यम से 1975 के आपातकाल की राजनीतिक परिस्थितियां एवं उसके निर्णय का अध्ययन करना है। 1975 में आपातकाल क्यों लगाया गया। आपातकाल लगाना एक मात्र विकल्प था इसको टाला जा सकता था। 1962, 1971 का आपातकाल बाह्य परिस्थितियों के कारण लगा था लेकिन 1975 का आपातकाल आन्तरिक परिस्थितियों के कारण लगा था ऐसी क्या आन्तरिक परिस्थिति उत्पन्न हो गयी। जिससे तात्कालीन कांग्रेस सरकार को आपातकाल लगाना पडा।

निश्कर्श

अतः निष्कर्ष रूप से कहा जा सकता है आपातकाल संविधान के अनुच्छेद 352 के अर्न्तगत जो कि राष्ट्रपति संकटकालीन शक्ति के अन्तर्गत आता है। जिसका प्रयोग राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल एवं प्रधानमंत्री की लिखित सूचना पर लागू करता है। लेकिन 1975 में तात्कालीन सरकार द्वारा ऐसा नहीं किया गया। तात्कालीन प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी पर भ्रष्टाचार का आरोप था। प्रधानमंत्री पद से हटने की पूरी अंशका थी।

उसने अपने विरोधियों को दबाने के लिए आन्तरिक स्थिति के आधार पर आखिरी शक्ति का प्रयोग करते हुए आपातकाल लागू किया गया।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. *कंस्टीटूॅशन असेम्बली डिबेट्स खण्ड IX पृष्ट संख्या 105*
2. *इण्डियन एक्सप्रेस, दिल्ली, 30 मार्च, 1969.*
3. *पेट्रीयाट, दिल्ली, 21 जुलाई, 1973.*
4. *रिपोर्ट ऑफ द सेन्टर स्टेट रिलेशन इन्क्वायरी कमेटी (गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु 1971)*
5. *डॉ. एल. एम. सिंघवी एण्ड अदर्स (स) यूनियन स्टेट रिलेंशस इन इण्डिया (इन्सिट्टयूट ऑफ कंस्टीटूशनल एण्ड पार्लियामेन्टरी स्टडीज, दिल्ली, 1969)*
6. *दि हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली, 8 अक्टूबर, 1968.*
7. *डॉ. एल.एम. सिंघवी एण्ड अदर्स, 'यूनियन स्टेट रिलेशंस इन इण्डिया, 1969.*
8. *गुप्त, डी.सी., 'इण्डियन गवर्नमेंट एण्ड पॉलिटक्स स्टडीज' विकास पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, 1972.*
9. *अग्रवाल, आर.सी., ''भारतीय संविधान का विकास तथा राष्ट्रीय आन्दोलन', एस. चन्द एण्ड कम्पनी लि0, 2000, दिल्ली*